RAJYA SABHA

Monday, 30*th April,* 2012/10*th Vaisakha,* 1934 *(Saka)*

The House met at eleven of the Clock

MR. CHAIRMAN in the Chair.

MATTER RAISED WITH PERMISSION

Supreme Court Judgement on SC/ST reservation in promotion and consequential seniority

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, मैंने प्रश्न काल के स्थगन के लिए नोटिस दिया है, क्योंकि SCs/STs के आरक्षण के इश्यु पर माननीय सर्वोच्च, न्यायालय का जो निर्णय आया, उसका दूरगामी असर पड़ रहा है। उस पर हमारी पार्टी की नेता और संसदीय दल की अध्यक्ष, बहन कुमारी मायावती जी को बोलने की इजाजत दे दीजिए, वे आपके सामने सूक्ष्म बातें रखना चाहती हैं।

श्री सभापति: यस प्लीज़।

कुमारी मायावती (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, मैं सरकार व पूरे सदन का ध्यान देश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अति महत्वपूर्ण मुद्दे, अर्थात् आरक्षण की तरफ दिलाना चाहती हूँ, जिसकी वजह से इन वर्गों के लोगों को जिन्दगी के हर पहलू में कुछ हद तक आगे बढ़ने का मौका मिला है। यह देन सही मायने में किसी और की नहीं है, बल्कि यह देन भारतीय संविधान के निर्माता व इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर की ही है।

माननीय सभापति जी, मैं आपको और आपके माध्यम से पूरे सदन को इस बात से भी अवगत कराना चाहती हूँ कि बाबा साहब डा. अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण भारतीय संविधान में इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जिन्दगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए जो आरक्षण की सुविधा मिली है, उसका लाभ इन वर्गों के लोगो को पूरे तौर से मिल सके, इसके लिए बाबा साहब डा. अम्बेडकर के देहान्त के बाद मान्यवर श्री कांशी राम जी ने काफी संघर्ष किया है। राजनीति में आने से पहले वामसेफ के माध्यम से इसके लिए मान्यवर कांशी राम जी ने काफी संघर्ष किया है, लेकिन दु:ख की बात यह है कि इन वर्गों के इस आरक्षण को शुरू से ही अपने देश में जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग किसी

न किसी रुप में निष्प्रभावी बनाने व इसके साथ ही इसका लाभ इन वर्गों के लोगों को कम से कम मिले, इस कोशिश में लगे रहे हैं। इसके अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती। इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों के आरक्षण को लेकर किसी न किसी मामले में समय-समय पर छोटी-बड़ी अदालतों द्वारा भी कुछ ऐसे निर्णय आते रहे हैं, जिनके कारण कई मामलों में इनका आरक्षण प्रभावित हुआ है। और फिर मजबूरी में उन मामलों को लेकर केन्द्र की सरकार को समय-समय पर संविधान में संशोधन भी करने पड़े हैं, जिसके तहत ही दिनांक 16 नवम्बर 1992 को इंदिरा साहनी केस में आये निर्णय के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा संविधान में 77वें तथा 85वें संशोधन लाकर, अनुच्छेद 16(4)(ए) व (4)(बी) जोड़ कर यह प्रावधान किया गया था कि नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण एवं वरिष्ठता अनुसूचित जति एवं जनजाति के लोगों को मिलती रहेगी। लेकिन इस व्यवस्था को संविधान में स्पष्ट रुप से लाए जाने के बाद भी एम. नागराज केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालस की संवैधानिक पीठ ने दिनांक 19.10.2006 को अपने निर्णय में यह व्यवस्था दी कि इन वर्गों के लिए पदोन्नति में आरक्षण व वरिष्ठता का कोई भी कानून बनाने के पहले केन्द्र सरकार व प्रदेशों की सरकारों को अनुमान्य आंकड़ों के तहत यह सुनिश्चित करना होगा कि एस.सी./एस.टी. कर्मचारियों का सेवा में उचित प्रतिनिधित्व है कि नहीं? उनका पिछड़ापन है कि नहीं तथा इनकी पदोन्नति से संविधान के अनुच्छेद 335 के तहत प्रशासनिक कार्यों में दक्षता प्रभावित तो नहीं हो रही है? इस प्रकार इन तीनों मापदंडों के आधार पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार के 77वें, 81वें व 85वें संवैधानिक संशोधन के जरिए अनुसूचित जाति/जन-जाति के लोगों को पदोन्नति एवं वरिष्ठता में दिए गए अधिकारों को निष्प्रभावी बना दिया। इतना ही नहीं इसी एम. नागराज केस के निर्णय को बाध्य मानते हुए पहले राजस्थान और अब इसी महीने 27 अप्रैल, 2012 को उत्तर प्रदेश के मामले में भी इन वर्गों की पदोन्नति में आरक्षण तथा वरिष्ठता से सम्बंधित कानून को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दे दिया है और अब आगे चलकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश की ही तरह एम. नागराज केस के निर्णय को बाध्य मानते हुए अब पूरे देश में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के सभी कर्मचारी, जो आरक्षण के आधार पर पदोन्नति एवं वरिष्ठता पाए हुए हैं, ऐसी स्थिति में अपने मूल पदों पर वापस जाना पड़ेगा जिसके बहुत ही खराब व दूरगामी परिणाम होंगे।

माननीय सभापति जी, इसलिए अब यह बहुत आवश्यक हो गया है कि केन्द्र सरकार एम. नागराज, सूरजभान मीणा बनाम राजस्थान सरकार और अब उत्तर प्रदेश से सम्बंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालस के निर्णय दिनांक 27 अप्रैल, 2012 में दी गयी व्यवस्था को निष्प्रभावी बनाते हुए तथा संविधान में लाए गए 77वें, 81वें, 92वें एवं 85वें संशोधन, जिनके तहत 16 व 335 में संशोधन लाया गया था, उनकी मंशा व नीयत को पूर्ण रुप से लागू करने के लिए संविधान में पुन: उचित संशोधन लाकर इसे संसद के इसी सत्र में जरुर पारित कराएं। इसके साथ ही मेरा केन्द्र सरकार से यह भी आग्रह है कि देश में एस.सी./एस.टी. वर्गों के आरक्षण को लेकर किसी भी मामले में, किसी-न-किसी स्तर पर अक्सर कोई-न-कोई समस्या खड़ी कर दी जाती है जिससे इनका आरक्षण प्रभावति होता है। इसलिए इन वर्गों के समूचे आरक्षण को जल्दी-से-जल्दी संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केन्द्र सरकार आवश्यक ठोस कदम जरुर उठाए, किन्तु इससे पहले केन्द्र सरकार इनके आरक्षण के हर पहलू को विभिन्न स्तर पर जरुर दिखवा ले अर्थात इनके आरक्षण को लेकर किसी भी मामले में, यदि कोई कमी है, तो उसे पहले जरुर दूर कर लिया जाए।

इस संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि यदि सरकार को इस मामले में हमारे

सहयोग की जरुरत पड़ती है तो हमारी पार्टी आपको जरुर मदद करेगी। इसके साथ ही मैं नेता विरोधी दल तथा अन्य सभी पाटियों के सम्मानित नेताओं से भी यह अनुरोध करती हूं कि वे इस कार्य को पूरा करवाने में अपनी पार्टी का पूरा-पूरा सहयोग दें और चूंकि यह मामला बहुत ही संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है,...इसलिए मैं सरकार से यह भी अपील करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप कोई एक दिन निश्चित करके इस पर कुछ घंटे की चर्चा कराएं, ताकि हर दल का नेता और हमारी पार्टी भी इस मामले में अपनी बात विस्तार से रख सके और जो तीन मापदंड रखे गए हैं, उन पर डिटेल से वे अपने विचार माननीय सदन में रख सकें।

माननीय सभापति जी, मैंने एस.सी., एस.टी. के आरक्षण को लेकर जिन मामलों में सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है, उस पर हमारी पार्टी केन्द्र की सरकार से उनका स्टेंड जरुर जानना चाहती है। इसमें मैं आपका संरक्षण चाहती हूँ कि आप गवर्नमेंट को निर्देशित करें, ताकि यह जो महत्तवपूर्ण संवेदनशील मामला मैंने सदन के सामने रखा है, इस पर सरकार का अभी फिलहाल क्या स्टेंड है, वह माननीय सदन को ज्ञात हो सके।

माननीय सभापति जी, अंत में इस संदर्भ में मैं और ज्यादा बात न रखते हुए, जो आपने मुझे आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया और हाउस के सभी सम्मानित नेताओं ने भी, जो विभिन्न दलों के नेता हैं, उन्होंने भी मुझे अपनी बात रखने के लिए कोआपरेट किया है और खासतौर से, माननीय सभापति जी, आपने हमारे आग्रह को माना और आपने क्वैश्चन आवर कुछ समय के लिए रोका और इस देश के जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, जिनका आरक्षण प्रभावित हो रहा है उनकी बात को हाउस में रखने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।

THE MINISTER IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, The Government is aggreeable to a discussion. Whenever you feel convenient or after notices received, you may fix a date for discussion on that.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: सर।

श्री सभापति: आप नोटिस दे दीजिए। We will work it out.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: जी, हम नोटिस दे देते हैं। अर्जेण्ट मेटर है, इसलिए परसों के लिए रख लें।

श्री सभापति: आप नोटिस दे दीजिए। थैंक यू। Question No. 341. Dr. Prabha Thakur; not present.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

[The questioner Dr. Prabha Thakur was absent]

ओखला से यमुना के जल में राजस्थान का हिस्सा

*341. **डा. प्रभा ठाकुर**: क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान को ओखला से यमुना के जल में उसका निर्धारित हिस्सा प्राप्त नहीं हो रहा है;